सख्या- /33-3-2025

प्रेषक,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक: मई, 2025

विषयः-वर्ष 2026 में सम्पन्न पंचायत निर्वाचन के उपरान्त नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम के सृजन/सीमा विस्तार के कारण प्रभावित ग्राम पंचायतों/ राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2021 में सम्पन्न पंचायत निर्वाचन के समय ग्राम पंचायतों का आंशिक पुनर्गठन/परिसीमन किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2491/33-3- 2014-03रा.नि.आ./14, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 तथा जनपद-गोण्डा, सम्भल, मुरादाबाद एवं गौतमबुद्धनगर में ग्राम पंचायतों के सामान्य पुनर्गठन के संबंध में शासनादेश संख्या-2578 /33-3-2020/03रा.नि.आ./14, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 निर्गत किया गया था। उक्त निर्गत शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों वार्डों का परिसीमन करने के उपरान्त त्रिस्तरीय पंचायतों का सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हुआ था।

सामान्य पंचायत निर्वाचन, 2021 के उपरान्त प्रदेश के कतिपय जनपदों में नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम के सृजन/सीमा विस्तार के फलस्वरूप कतिपय ग्राम पंचायतें/राजस्व ग्राम शहरी क्षेत्र में सम्मिलित हो गये है, जिस कारण कई ग्राम पंचायतों की प्रास्थिति में परिवर्तन हुआ है और उनकी जनसंख्या 1000 से कम हो गई है। इस कारण शहरी क्षेत्र में समाहित ग्राम पंचायतों को हटाया जाना एवं बचे हुए राजस्व ग्रामों को किसी निकटस्थ ग्राम पंचायत में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। उक्त परिस्थिति में सम्बन्धित जनपदों के प्रभावित विकास खण्डों की प्रभावित ग्राम पंचायतों की पूर्व निर्गत अधिसूचना को संशोधित किया जाना आवश्यक है।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम-1947 (यथासंशोधित, 1994) की धारा-3 एवं धारा-11(च) में क्रमशः ग्राम सभाओं की स्थापना तथा पंचायत क्षेत्र की घोषणा के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान किया गया है-

''धारा-3- ग्राम सभा राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम के लिए या ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम सभा, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, स्थापित करेगी-

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाए, वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम सभा के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

''धारा-11-च. पंचायत क्षेत्र की घोषणा- (1) राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम, या ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या यथासाध्य एक हजार हो, में समाविष्ट किसी क्षेत्र को ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी राजस्व ग्राम या उसके किसी मजरे को, पंचायत क्षेत्र की घोषणा के प्रयोजनों के लिए विभाजित नहीं किया जायेगा:

(2) राज्य सरकार, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा किसी भी समय-

(क) किसी पंचायत क्षेत्र के क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकाल कर, परिष्कार कर सकती है,

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है, या

(ग) यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।''

सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनपदों के प्रभावित विकास खण्ड की ऐसी ग्राम पंचायतों के ऐसे राजस्व ग्राम जो नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर के सृजन/सीमा विस्तार के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में अवशेष रह गये हैं, को निकटस्थ ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन हेतु निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जायेगी:-

1. यदि ऐसी ग्राम पचायत जिसका एक राजस्व ग्राम नगरीय निकाय मे समाहित हो गया है और केवल एक ही राजस्व ग्राम बचा है और ग्राम पंचायत बनाने का मानक पूरा नहीं करता है, तो उसे किसी निकटस्थ ग्राम पंचायत में सम्मिलित कर दिया जायेगा।

2. यदि कोई ग्राम पंचायत नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाती है और उसका सम्मिलित राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत बनाने के लिए मानक पूर्ण करता है, तो उस दशा में उस राजस्व ग्राम को ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है।

3. एकल राजस्व ग्राम के नाम से गठित ग्राम पंचायत यदि आंशिक रूप से प्रभावित हुई है एवं जनसंख्या यथासाध्य **1000** हो, तो उस दशा में वह ग्राम पंचायत यथावत शेष बनी रहेगी।

उक्त कार्यवाही हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है-

(क)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(ग)	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
(घ)	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य एवं सचिव

(3) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रभावित विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों को संशोधित अधिसूचना के माध्यम से हटाए जाने एवं अवशेष ग्रामों को आवश्यकतानुसार निकटस्थ ग्राम पंचायत में सम्मिलित कर ने हेतु उपरोक्त समिति से अनुमोदित समुचित प्रस्ताव (पूर्व स्थिति एवं संशोधित स्थिति के अनुसार) संलग्न प्रारूप (सारिणी) पर **3** प्रतियों में तथा संलग्न प्रारूप रूपपत्र**-1** पर इस आशय का प्रमाण पत्र कि कोई ग्रामीण क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित होने से शेष नहीं रह गया है; जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से पंचायती राज निदेशालय को विलम्बतम् दिनांक**- 05** जून, **2025** तक विशेष वाहक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त के साथ यह भी अपेक्षा की जाती है कि जिलाधिकारी अपने स्तर से यह भी सुनिश्चित करा लें कि किसी जनपद में नगरीय निकाय के सृजन/सीमा विस्तार के उपरान्त विभाग द्वारा प्रभावित विकास खण्ड की संशोधित अधिसूचना निर्गत कराने से न रह गयी हो।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 23-05-2025 11:27:12
(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि यदि किसी जनपद में नगरीय निकाय के सृजन/सीमा विस्तार के उपरान्त विभाग द्वारा प्रभावित विकास खण्ड की संशोधित अधिसूचना निर्गत न करायी गयी हो तो उक्त समिति द्वारा अनुमोदित वांछित प्रस्ताव संशोधित अधिसूचना निर्गत करने हेतु समय से पंचायती राज निदेशालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
Digitally signed by JAI PRAKASH PANDEY
Date: 23-05-2025 11:50:11
(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।